

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :200/प्र0310-स्वयं/जोन-1/2010-11 दिनांक 19/08/2013


अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि एक भूमि के सम्बन्ध में जिस पर English Medium Extension विद्यालय मानचित्र (प्लान-ई) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विकास या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकाना या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री प्रदीप जयवाल, सचिव, द कठरा एजुकेशनल सोसायटी द्वारा डी०बी० गर्ल्स (English Medium) गारटर प्रारिक्त प्रसाद रोड, प्रयाग स्ट्रीट इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत English Medium Extension विद्यालय मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 ने उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.9 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनुमति (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वारसविक उपभोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4x3 फीट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण उल्लेख करना होगा।
4. स्थल पर जन-नीति के अनुसार 40 अक्षर वृद्ध लगाने होंगे।
5. स्थल पर रेन्ट्रटर हावैस्टिंग प्रणाली मन्क के अनुसार विकसित कर दूर-दुर्ग जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही जल एन्ड डी०आर० अवमुक्त किया जावेगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपभोग स्वीकृत प्रस्तावन के अनुसार ही करना होगा।
7. मुख्य अग्नि सभन अधिकारी इलाहाबाद की अनपत्ति पत्र संख्या-एफ०बी०/सीएफ०/आई-2(50)/2011 दिनांक 10.10.2011 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न) तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व अंतिम अनपत्ति भी प्राप्त करनी होगी।
8. स्थल पर जोलर वॉटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
9. भवन की संरचना भूकम्परोधी निर्माण के मानक के अनुसार कक्षाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. स्थल पर सागरा क्रान्तिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कर उक्त का संयोजन Existing सर्किटेस से करना होगा।
11. गान्धीय न्यायालय में कोई बंद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति गान्धीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, जामिन सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त शनडा जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Continued



SECTION AT "A-A"

Scale: 1/100

Author: S. S. D. D. D.

Project: UPVIDHI 2008

Client: UPVIDHI 2008

Location: ALLAHABAD

Date: 11/01/11

Checked by: ET: MITHLESH KUMAR

Scale: 1/100



Date: 11/01/11

Checked by: ET: MITHLESH KUMAR

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPVIDHI 2008

PROJECT: EXISTING / PROPOSED SCHOOL BUILDING PLAN OF M. P. GIRLS ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, P. O. GANAI, GANAI ROAD (POWANG STREET), DISTT. ALLAHABAD

BRG. NO.	1
SECTION	1
SHEET NO.	1
SIZE	A1
SCALE	1:100
DATE	JAN 11
DEALT BY	GAJAN
CHECKED BY	ET: MITHLESH KUMAR
SEAL & SIGN OF MANAGER, SEAL & SIGN OF ENGINEERS	



HOME

ARCHITECTURAL SECTION, DRAWING

COMPUTER GRAPHICS & SERVICES

2/27/2011 11:11:11 AM

ALLAHABAD, PIN 201002